डिजिटल मानचित्र –जनपद बागेश्वर में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत कपकोट पिण्डारी गलेसियर मोटर रोड से काफली कमेडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल बडियाकोट सिविल

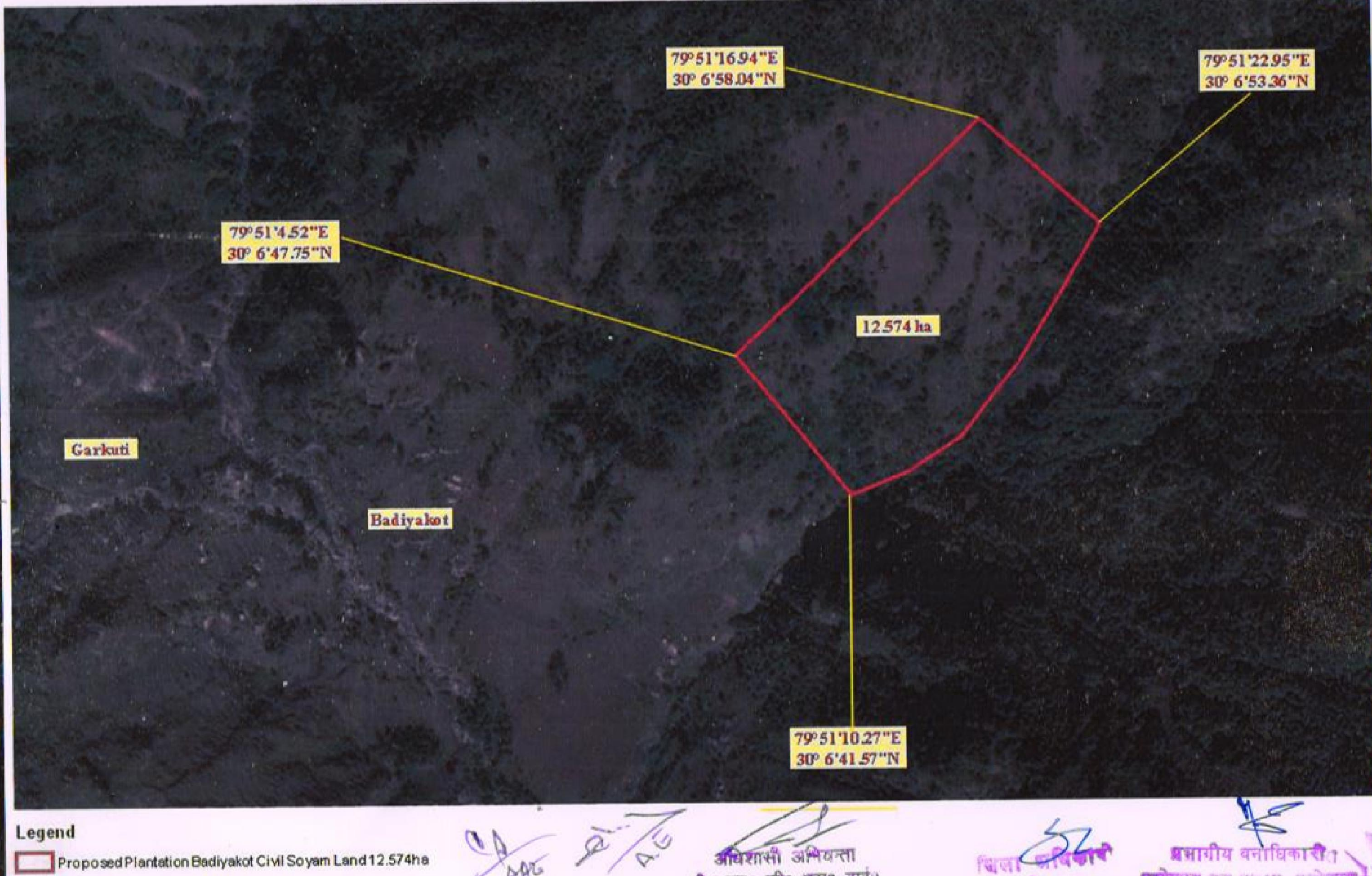

अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
पी0 आई0 यू0 II, कपकोट
बागेश्वर

जिला अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–47

परियोजना का नाम– जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट में कपकोट पिण्डारी ग्लेसियर मोटर रोड से काफली कमेडा मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 6.287 हे0 सिविल /वंन पंचायत भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 11.250 किमी0।

प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।

भूमिधर

राजस्व विभाग
नाम पद एवं मुहर सहित

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट में कपकोट पिण्डारी ग्लेसियर मोटर रोड से काफली कमेडा मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 6.287 हे0 सिविल /वंन पंचायत भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 11.250 किमी0।

जनपद बागेश्वर में **कपकोट पिण्डारी ग्लेसियर मोटर रोड से काफली कमेडा** मोटर मार्ग की ग्राम्य विकास विभाग देहरादून के पत्र संख्या 2404/पी 3–14 दि0 **1/3/2013** के द्वारा 250 तक की जनसंख्या वाले वसावटों को प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना का प्राविधान है।

विस्तृत सर्वेक्षण के अनुसार मोटर मार्ग की वास्तवित लं0 11.250 किमी0 आती है। मार्ग संरेखण में जॉच के उपरान्त 6.287 है0 में सिविल / वनपंचायत भूमि पड़ती है। जिसकी विस्तृत विवरण संलग्न वार चार्ट के अनुसार मार्ग निर्माण हेतु आवष्यक भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव 6.287 है0 क्षेत्रफल के लिए गठित किया जा रहा है। उक्त गॉव में यातायात की सुविधा न होने के कारण ग्रामवासियों को अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। इसमें स्थानीय निवासियों की आर्थिकी भी मजबूत हेागी। मार्ग के निर्माण हेतु किये गये संरेखण में पडने वाली भूमि पर ग्रामवासियों की कोई आपत्ति नहीं है। (अनापत्ति प्रमाण पत्र पृश्ट संख्या .... पर संलग्न है) साथ ही साथ स्थानीय लोगों द्वारा उगाई जा रही नगदी फसलों एवं फलों के विपणन हेतु नजदीकी बाजार उर्गम, जोषीमठ एंव अन्य स्थानो पर लाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के मुख्य उददेश्य गॉव के अन्तर्गत 250 तक की आबादी के गॉव को यातायात सुविधा प्रदान करने का प्राविधान है। संरेखण के मध्य में धार्मिक स्थल, पौराणिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, कब्रस्थान नहीं पडते है। संरेखण का भूगर्भीय निरीक्षण भूगर्भवैत्ता द्वारा किया जा चुका है । (भू गर्भीय आख्या संलग्न है) मार्ग के संरेखण में न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा।

अतः प्रस्ताव 7.00 मी0चौ0 में ही भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है तथा मार्ग निर्माण 6.00 मी0 चौ0 में ही की जाने के फलस्वरूप मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यक वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव 6.287 है0 क्षेत्रफल के लिए गठित किया गया है। पातन किये जाने वाले वृक्षों की गणना भी नियमानुसार ही की गई है। मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक न्यूनतम भूमि एंव न्यूनतम वृक्षों के पातन अनुरूप प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु गठित कर प्रस्तुत है।

कनिष्ठ अभियन्ता | सहायक अभियन्ता | अधिशासी अभियन्ता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0, पी0 आई0 यू0 कपकोट, बागेश्वर